

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर

क्रमांक :- एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2018/

दिनांक:-

खुली बोली सूचना

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के उपयोग के लिये वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी-1 (1) बजट 2004 दिनांक 28.07.08 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी-1 (1) बजट 2012 दिनांक 01.05.14 एवं एफ 9 (1) एफडी-1 (1) बजट 2012 दिनांक 01.07.2015 में वर्णित शर्तों पर निर्धारित Specification की दो मशीनें एवं निर्धारित योग्यता वाले दो ऑपरेटर उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सीज से दिनांक 04.04.18 अपराह्न 3.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में सीमित बोलियां आमन्त्रित की जाती हैं। प्राप्त बोलियों को दिनांक 05.04.18 सांय 4.00 बजे उपस्थित बोलीदाता यदि कोई हो, के समक्ष खोली जाएगी।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा/लागत	बोली प्रपत्र शुल्क
1.	सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर चार मेन विथ मशीन की सेवाएं लेने हेतु	राशि रुपये 4.08 लाख रुपये	200/—

- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी-1 (1) बजट 2004 दिनांक 28.07.08 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 9 (1) एफडी-1 (1) बजट 2012 दिनांक 01.05.14 एवं एफ 9 (1) एफडी-1 (1) बजट 2012 दिनांक 01.07.15 में वर्णित शर्तों पर निर्धारित Specification की दो मशीनें एवं निर्धारित योग्यता वाला ऑपरेटर उपलब्ध कराना होगा। Specification एवं ऑपरेटर की योग्यता का विवरण Annexure-A में अंकित है। दरों का उल्लेख Annexure-A में करना होगा।
- बिड प्रपत्र, बिड सूचना से संबंधित नियम, शर्तें संबंधी दस्तावेज निर्धारित शुल्क पर आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में दिनांक अपराह्न..... बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। या वेब साईट www.devasthan.rajasthan.gov.in व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> से भी डाउन लोड किया जा सकता है। बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। डाउन लोड करने की स्थिति में निविदा शुल्क रु. 200/— निविदा प्रस्तुत करते समय जमा कराने होंगे।
- बिड सीलबन्द लिफाफे में, जिसके उपर बीड का विवरण अंकित हो, आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर के कार्यालय में दिनांक 04.04.18 को अपराह्न 3.00 बजे तक डाक द्वारा या व्यक्तिशः पहुंच जानी चाहिये। प्राप्त बिड दिनांक 05.04.18 अपराह्न 4.00 बजे उपस्थित बिडदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
- बिड प्रतिभूति राशि रु. 8160/— का आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान संख्या..... दिनांक..... बोली प्रतिभूति राशि के पेटे संलग्न है।
- सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/केश रसीद प्रस्तुत कर राशि रुपये 500/— के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। बिड प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति के विरुद्ध किया जा सकेगा।
- बीड के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नं. की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं बैंक की पासबुक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
- विभागीय क्रय समिति न्यूनतम दर वाली बोली को स्वीकार किये जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा यह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को कोई कारण बताये बिना रद्द कर सकेगी।

9. बिड में आमन्त्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। दरों को आपसी सहमति से साथ तीन माह के लिये अधिकतम बढ़ाई जा सकेगी।
10. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम लागू होंगे। इसके साथ ही राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है जो उक्त बिड पर प्रभावशील है।
11. क्रय आदेश दिये जाने की दिनांक से सात दिवस की अवधि के भीतर फर्म द्वारा मेन विथ मशीन उपलब्ध कराने होंगे।
12. यदि फर्म सेवाकर के दायरे में आती है तो फर्म को सेवाकर स्वयं के स्तर से संबंधित विभाग में जमा कराना होगा तथा बिड प्रपत्र एवं बिल में सेवाकर की राशि को पृथक से दर्शाते हुए सम्बन्धित मद में अपने स्तर से जमा कराना होगा तथा मांगने पर चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
13. बिड की दर स्पष्ट रूप से अंकित की जावें, कटिंग नहीं करें। अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें।
14. बिड प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जावें। सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
15. राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के उप नियम-29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड अध्याधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबन्ध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा से कम कीमत पर सेवाएँ देने के लिये उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुये पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 2 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गयी कीमत अन्य समानान्तर दर संविदाधारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और सव्यवहार नहीं किया जायेगा।
16. विशेष परिस्थितियों में राज, लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 74 के अनुसार कार्य Fair, Transparen't & equitable manner से विभाजित किया जा सकेगा।
17. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन - बोली प्रस्तुत करने के लिये अन्तिम समय-सीमा से पूर्व किसी भी समय, उपापन संस्था किसी कारण से चाहें स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिये किसी अनुरोध के परिणाम स्वरूप, धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपान्तरित कर सकेगी।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)

IAS

आयुक्त
देवस्थान विभाग
राजस्थान उदयपुर

क्रमांक :- एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2018/

दिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. मैसर्स
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को भेजकर लेख है कि उक्त सीमित निविदा को आज ही विभाग की वेब साईट www.devasthan.rajasthan.gov.in व राजस्थान लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर अपलोड कर एवं तत्सम्बन्धी विवरण की प्रति लेखा अनुभाग को उपलब्ध करावें।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

4. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय आयुक्त देवस्थान उदयपुर।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान उदयपुर।


(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
IAS

आयुक्त
देवस्थान विभाग
राजस्थान उदयपुर

बीड प्रपत्र

बीड विक्रय करने की अंतिम तिथि 04.04.2018 अपरान्ह 1.00 बजे तक

बीड जमा कराने की अंतिम तिथि 04.04.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक

बीड खोलने की अंतिम तिथि 05.04.2018 अपरान्ह 4.00 बजे

अनुमानित लागत :- 4.08 लाख रुपये ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान-उदयपुर

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर मेन विथ मशीन की सेवाएं लेने हेतु।
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता, व मोबाइल नम्बर
.....
3. किसको सम्बोधित किया गया – आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
4. सन्दर्भ :- एफ 1 (1) लेखा/स्टोर/देव/2016 दिनांक
5. बिड शुल्क 200/- रुपये नकद रसीद संख्या एवं दिनांक के द्वारा जमा करवा दी गई है।
6. सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से संविदा आधार पर मेन विथ मशीन की सेवाओं हेतु दरें संलग्न Annexure A में प्रस्तुत है।
7. बिड प्रतिभूति राशि रु. 8160/- का आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या जो..... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। चालान संख्या..... दिनांक..... बोली प्रतिभूति राशि के पेटे संलग्न है।
8. सफल निविदाकार को अनुमोदित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/केश रसीद प्रस्तुत कर राशि रुपये 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। बिड प्रतिभूति के रूप में जमा राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति के विरुद्ध किया जा सकेगा।
9. बिड में आमंत्रित दरे अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि आपसी सहमति से अधिकतम आर.टी.पी.पी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के नियम 73 के तहत बढ़ाई जा सकेगी।
10. हम आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी की गई उक्त संदर्भित बिड सूचना में वर्णित सभी शर्तों से एवं संलग्न प्रपत्रों में दी गई उक्त बिड सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
11. बिड के साथ आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति, एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी संलग्न है।